

106/1211/18  
15/11/18



फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविन्द सिंह रघुवंशी 2. वर्तमान धारित पद मार्शल  
3. वर्तमान वेतन 59,000/- D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) गा० - चतरखेडा तह० - सिवगांव जि० - डोरगावाड़	मिट्टी का कब्रिस्तान कच्चा भवन 1000 फीट	कृषि भूमि 12 एकड़ लगभग	लगभग 15,00,000 रु (पट्टा खारिज)	हंम के नाम से प्रतिक संपत्ति है।	1) पूर्वजों से प्राप्त	1) कृषि आय है से होती है 2,50,000 रु सालाना पन्नाई खारिज रूप में (वर्तमान वर्ष में)	
2) गा० - चौकी हरवरा तह० - सिवगांव जि० - डोरगावाड़	—	कृषि भूमि 5.50 एकड़ (30x50 फीट)	लगभग 5,00,000 रु (पॉच खारिज)	हंम के नाम से प्रतिक संपत्ति है।	2) पुल्तनी पूर्वजों से प्राप्त	2) कृषि आय है से होती है 50,000 रु सालाना पन्नाई रूप में (वर्तमान वर्ष में)	
3) गा० - वरखंड कुआ तह० - सिवगांव जि० - डोरगावाड़	—	1500 फीट का प्लॉट	लगभग 60,000 रु (सादर खारिज)	हंम के नाम से	3) पुल्तनी	3) —	
4) गा० - चतरखेडा तह० - सिवगांव जि० - डोरगावाड़	—	कृषि भूमि 6.50 एकड़	लगभग 6,50,000 रु (खारिज पन्नाई खारिज रूप में)	नितिन रघुवंशी के नाम (पुत्र)	4) स्वर्गीय दादाजी हंम से प्राप्त	4) कृषि आय है से होती है लगभग 70,000 रु (खारिज रूप में)	
5) गा० - डोरगावाड़ तह० - सिवगांव जि० - डोरगावाड़	30x40 मूखेड पर निर्माणधीन भवन	—	लगभग 6,00,000 रु (खारिज रूप में)	श्रीमति ज्योति रघुवंशी (पत्नी)	5) मेरे हंम से स्वर्गीय पिताजी द्वारा हंम कराई गई	5) —	

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए।
- \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]  
नाम गोविन्द सिंह रघुवंशी  
पद मार्शल